

Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
बलदेव सिंह पुत्र माना सिंह निवासी 16 जीबी तहसील श्रीविजयनगर

बनाम

सरपंच ग्राम पंचायत 17जीबी पंचायत समिति श्रीविजयनगर आदि

किस्म मुकदमा:-निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994

प्र0स10:-

133 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हए
08.06.2023	<p>पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। अधिवक्ता निगरानीकर्ता श्री लेखराज देरासरी उपस्थित। गैरनिगरानीकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री अजय कुमार अरोड़ा उपस्थित। अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने दौरान बहस निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि चक 16 जीबी का जैर निगरानी भूखण्ड ग्राम पंचायत निगरानीकर्ता के दादा जलाल पुत्र रंगा ईसाई को ग्राम पंचायत कल्याणकोट द्वारा नीलामी में विक्रय किया था। दादा की मृत्यु उपरांत उक्त भूखण्ड पर निगरानीकर्ता का कब्जा चला आ रहा है तथा निगरानीकर्ता लगभग 30-40 वर्षों से परिवार सहित उक्त भूखण्ड पर निर्माण कर निवास कर रहा है। निगरानीकर्ता द्वारा अपने भूखण्ड की हद तक ही निर्माण किया हुआ है तथा निगरानीकर्ता के भूखण्ड के पास स्थित कृषि भूमि के मालिक द्वारा अपने खेत की हद को बढ़ाते हुए निगरानीकर्ता के घर के आगे चल रहे आम रास्ता पर अतिक्रमण कर रास्ता को संकरा कर रखा हैं। सरपंच द्वारा रंजिशावश खेत मालिक के खिलाफ कार्यवाही ना करते हुए निगरानीकर्ता के विधिपूर्ण निर्माण को जबरन हटाने हेतु नोटिस क्रमांक 130 दिनांक 21.11.2022 जारी कर दिया। उक्त नोटिस पंचायतीराज अधिनियम के नियमों के विरुद्ध जाकर जारी किया है। अतः ग्राम पंचायत 17 जीबी पंचायत समिति श्रीविजयनगर का नोटिस दिनांक 21.11.2022 को अपास्त करने की मेहरबानी फरमावें।</p> <p>अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने अपनी बहस में दिनांक 16.02.2023 को प्रस्तुत जवाब निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा कृषि भूमि की पटवारी हल्का द्वारा विधिवत पैमाईश करवाई गई थी एवं उसके पश्चात तहसीलदार (राजस्व) द्वारा गठित कमेटी से भी कृषि भूमि की पैमाईश करवाई गई है। पत्थर लाईन अनुसार कृषि भूमि धारकों द्वारा रास्ता में अतिक्रमण नहीं पाया गया है। अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी नोटिस में यह अंकित किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वामित्व योजना के अन्तर्गत प्राप्त नक्शों अनुसार पूरे गांव का सर्वेक्षण किया जा रहा है एवं उक्त कार्य पूर्ण होने पर पूरे गांव में नियमानुसार अतिक्रमण चिन्हित कर हटा दिये जाएंगे। निगरानीकर्ता द्वारा गलत तथ्य बताकर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि सही स्थिति यह है कि अप्रार्थी द्वारा जारी नोटिस निगरानीकर्ता के वैध निर्माण को तोड़ने के लिए नहीं दिया गया है अपितु निगरानीकर्ता द्वारा अपने भूखण्ड के आगे लगभग 3 फुट पर शौचालय बना रखा है, जिसे हटाने का ही नोटिस दिया गया है तथा सरपंच को अवैध अतिक्रमण हटाने का विधिक अधिकार प्राप्त है। अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने यह भी कथन किया कि गांव के विकास हेतु की जा रही सड़क के निर्माण में कोई अनुचित बाधा नहीं आए इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु नोटिस जारी किये गये है एवं अतिक्रमण हटाने से पूर्ण स्वामित्व के नक्शों की पूर्ण विधिक जांच करके ही अतिक्रमण हटाये जाएंगे। अतः जैर निगरानी निरस्त फरमाने की कृपा करें।</p> <p>हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं गैरनिगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 10.02.2023 को प्रस्तुत जवाब निगरानी एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। जिसके आलोक में जवाब निगरानी संतोषजनक पाया गया। निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत 17 जीबी के नोटिस दिनांक 21.11.2022 के विरुद्ध पेश की है। ग्राम पंचायत 17 जीबी पंचायत समिति श्रीविजयनगर द्वारा अन्य ग्रामवासियों को भी इसी प्रकार के नोटिस दिये गये है, केवल निगरानीकर्ता के साथ अन्याय हुआ हो, साबित नहीं होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।</p> <p>पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (श्रीसंलाह्वार)

